



-: 2 :-

सर्वदा दिन के लिए होता है ।

§ 4§ मूल्य :- मो० पचपन हजार स्येया की 55000/- स्येया जिम्मा आधा मो० क्ताईस हजार पाँच सौ स्येया की 27500/- स्येया होता है ।

§ 5§ सम्पत्ति :- एराजियात अन्दर 0.10 एकड़ § दस डीसमील § हकियत रैयती मय दखाली खतिया नों जमीन वाके मौजा सलडेगा डीपा टोली धाना सिमडेगा धाना नं० 117 सबडिवेजन वो सब रजिस्ट्री ऑफिस - सिमडेगा सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला गुमला के अन्दर छाता नं० 6 प्लाट नं० 710 कुल रकबा 0.44 एकड़ में से 0.10 एकड़ § दस डीसमील § टाँड़ दो आवासीय जमीन है जिसकी चौहद्दी - उत्तर-मकान सहन रघुनाथ सिंह, दक्षिण - टाँड़ इसी प्लाट का हिस्सा, पूरब- ग्ली इसी प्लाट का, पश्चिम - टाँड़ मोजेस छाड़िया का। मालगुजारी क्लाने 0.10 रु० § दस पैसा § अलावे शेष के मोकरर रहा ।

§ 1§ चूंकि मुझे अपनी लड़की की शादी वा स्ते स्येया की अति शक्त जरूरत हुई और स्येया मिलने का कोई भिन्न उपाय नहीं रहा लेहाजा मैंने उपर्युक्त लेखधारिणी से अपनी जमीन खारीदने की प्रार्थना की और उन्होंने भी जमीन खारीदना स्वीकार किया।

§ 2§ चूंकि हम दोनों लेखकारी एवं लेखधारी आदिवासी समुदाय के सुरक्षीत रैयत हैं इसलिए अन्दर दफा 46 सी.एन.टी.एक्ट के तहत

गवाह - लहातेन केकेड़ा, पति-शी रूही ठं ल्याशा रवींद्रा
दानिपल केकेड़ा, ग्राम-कखारजोर
मुखेटोली-धाना-कुरडा, जिला- गुमला
तः १६-४-२०००

10-4-2000



- : 3 :-

जमीन छारोद बिक्री हेतु परमीशन के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिडिगा के न्यायालय में आवेदन दिये जिसका वाद संख्या सी.एन.टी. 110/99-2000 जिसका आदेश दिनांक - 27-3-2000 एवं स्वीकृति मेमो नो 174/111 दिनांक 27-3-2000 को प्राप्त हुआ ।

§ 3§ इसलिये इच्छा मन वो शरीर की स्वच्छता में रह कर अपर छाना संख्या पांच में वर्णित जमीन का कुल एक वो अधिकार मो० पचपन हजार स्मेया एक मुश्त अदाय पाकर उपर्युक्त लेखधारिणी के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया अब से उक्त जमीन पर मेरा किसी प्रकार का एक सरोकार नहीं रहा और न रहेगा और न ही भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का रहेगा ।

§ 4§ मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि बिक्री की जाने वाली जमीन मेरी खतियानी जमीन है जो मेरे स्व० पिता छोटा सिडिगा छाडिया के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है । जिसे हम लोग भाईयों के बीच बंटवारा कर लिए हैं और सभी अपने-अपने हिस्से को दाखिल छारोज करा कर अपने-अपने नाम से मालगुजारी की खास रसीद हर साल लिया कर रहे हैं । उक्त जमीन पर मैं निर्विवाद रूप से दखल कब्जेदार था जमीन पर किसी प्रकार का झगडा झंझट या वारदेन नहीं है ।

27/3/2000
27/3/2000

2000-9-27



-: 4 :-

§ 58 अत्र चाहिए कि उपर्युक्त लेख्यधारिणी उक्त बिक्री की जा रही जमीन पर काबिज वो दखाल्कार होकर मकान सहन बनावे या अपने सुविधानुसार जैसा मन चाहे उपयोग में लावे एवं बिहार सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंवल कार्यालय सिमडेगा से दाखिल छारीज करा कर तारीख लेख्य से मालगुजारी की खास रसीद खास नाम से साल-ब-साल हासिल किया करें।

§ 68 इसलिए यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज लिखा दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरी पर काम आवे।

भै यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही - श्री. सुलक्ष्मी शर्मा तः १६-४-२०००

भै लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन एवं छारीदगी के बाद कुल धारित जमीन अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

सही - श्री. सुलक्ष्मी शर्मा 19-4-2000

श्री. सुलक्ष्मी शर्मा
तः १६-४-२०००

50 RS.



-: 5 :-

ब-इरार लेखकारी के कहे अनुसार इस क्विच-पत्र दस्तावेज का प्राप्प तैयार कर उन्को ग्वाहों के समक्ष पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये ।

प्राप्प कर्ता,
Rameshwar Sahu
अधिमक्ता,
सिमडेगा, कोर्ट ।
19.4.2000

सही - कल्याणा शर्मा

त: १६-४-२०००

प्रमाणित किया जाता है कि इस क्विच-पत्र दस्तावेज के कुल पंच पृष्ठों में कुल 593 शब्द दिकित हैं जो छानडन रहित वो नक्शा सहित है ।

टिक -

हो/- नारायण दास
19-4-2000
॥ नारायण दास ॥
क्वहरी परिसर, सिमडेगा ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज द्वितीयक प्रति के साथ ह्बहु एवं सच्ची प्रतिलिपि है ।

सही - कल्याणा शर्मा

त: १६-४-२०००